

संशोधित प्रेस-विज्ञप्ति

शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों जिनकी शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टर मीडिएट हो तथा जिनके अभिभावकों की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में समान रूप से वार्षिक आय सीमा ₹0 1.00 लाख तक होनी चाहिए, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, अन्यथी बेरोजगार हो तथा किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति न लेता हो तथा अन्यथी किसी भी शिक्षण संस्था में सस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत न हो को ओ-लेवल जिसकी समय अवधि 01 वर्ष एवं सी0सी0सी0 क0 प्रशि0 जिसकी समय अवधि 03 माह की होगी, के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट obccomputertraining.upsdc.gov.in पर दिये गये लिंक पर लॉगिन करके दिनोंक 15 अगस्त, से बढ़ाकर 23 अगस्त 2020 तक शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा तथा सम्बन्धित आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करके उस पर पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा कर अपना हस्ताक्षर बनाकर, निम्न अभिलेखों जैसे:- (जाति, आय प्रमाण पत्र बोर्ड ऑफ रेवेन्यू/ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर होना) हाईस्कूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इण्टर अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति सहित हार्डकॉपी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास मवन कमरा नं0-204 में निर्धारित अन्तिम तिथि 23 अगस्त, 2020 की साय 5:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। 23 अगस्त 2020 के पश्चात आवेदन पत्रों को जमा नहीं किया जायेगा।

विस्तृत दिशा-निर्देश/समय सारिणी उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है।

६०

(मो0 जीशान मलिक)

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
रामपुर।

कार्यालय: जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रामपुर।

दिनोंक 10 अगस्त, 2020

पत्रांक 81

/पि0व0क0/प्रेस विज्ञप्ति / 2020-21/

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, महोदय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, महोदय रामपुर।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, महोदय पिछड़ा वर्ग कल्याण मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
- 4- उप निदेशक, महोदय पिछड़ा वर्ग कल्याण मुरादाबाद के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति समस्त हिन्दी अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 5- जिला सूचना अधिकारी रामपुर को इस प्रकाशित कराने को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 6- जिला सूचना अधिकारी (एन0आई0सी0), रामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनपदीय वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 7- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), रामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनपदीय वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा (इवैक से मान्यता प्राप्त) व्ययित संस्था समर्पण सेवा संस्थान सि0ला0 रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त अंकित वेबसाइट पर दिनोंक 23 अगस्त, 2020 तक उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए छात्र/छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन कराना सुनिश्चित करें।

Feed back
23/08/2020

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
रामपुर।